न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

(1) अपील संख्याः—260/2016/223 (2016/00260)

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा, जाति खारोल, निवासी ग्राम नासनोता, तह0मौजमाबाद जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती कुन्ति देवी पत्नि रूडमल गुप्ता,
2. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि राजेश गुप्ता,
3. श्रीमती साक्षी देवी पत्नि अशोक कुमार गुप्ता,
4. श्रीमती सुनिता पत्नि चन्द्रप्रकाश गुप्ता,

समस्त जाति महाजन, निवासी ग्राम महलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

वादीगण/रेस्पोडेंटस

1. हरिनारायण पुत्र श्री रामू,
2. मुकेश पुत्र औमप्रकाश,
3. नन्दगणेश पुत्र औमप्रकाश,
4. श्रीमती रामप्यारी पत्नि औमप्रकाश,
5. सुज्या पुत्र कल्याण,

समस्त जाति खारोल, नि0 ग्राम नासनोता, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर

6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 2.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 17/2016.

उपस्थितः—

1. श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4.
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 5 से 9.

(2) अपील संख्याः—283/2016/223 (2016/00283)

1. श्रीमती कुन्ती देवी पत्नि रूड़मल गुप्ता, जाति महाजन, निवासी महलां, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. उर्मिला उर्मिला देवी पत्नि राजेश गुप्ता,
3. श्रीमती साक्षी देवी पत्नि अशोक कुमार गुप्ता,
4. श्रीमती सुनिता देवी पत्नि चन्द्रप्रकाश गुप्ता,

समस्त जाति महाजन, नि0 ग्राम महलां, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भूरा,
2. हरिनारायण पुत्र रामू,
3. मुकेश पुत्र ओमप्रकाश,
4. नन्दगणेश पुत्र ओमप्रकाश,

5. रामप्यारी पत्नि ओमप्रकाश,
6. सूज्या पुत्र कल्याण,
समस्त जाति खारोल, समस्त निवासीगण ग्राम नासनोता, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू दिनांक 2.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 17/2016.

उपस्थितः–

1. श्री विरेन्द्रसिंह, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 6

निर्णय

दिनांकः–

1. यह दोनों अपीलें विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 के विरूद्ध अलग–अलग इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । दोनों अपीलों में पक्षकारान एवं विवादित भूमियां समान होने तथा एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहित की जाकर दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 4 कुन्तीदेवी वगैरह ने प्रतिवादी/अपीलांटस एवं शेष रेस्पो0 के विरूद्ध एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 एवं 188 राज0काश्त0 अधि0 195 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात खातासंख्या 238 खसरा संख्या 314 रकबा 0.13 है0, खसरा संख्या 316 रकबा 0.32 है0, खसरा संख्या 323 रकबा 034 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.79 है0, खाता संख्या 237 के आराजी खसरा संख्या 13 रकबा 0.83 है0, खसरा संख्या 315 रकबा 0.63 है0, खसरा संख्या 317 रकबा 0.33 है0, खसरा संख्या 318 रकबा 0.28 है0, खसरा संख्या 319 रकबा 0.43 है0, खसरा संख्या 320 रकबा 0.05 है0, खसरा संख्या 321 रकबा 0.79 है0, खसरा संख्या 322 रकबा 0.26 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 3.60 है0 वाके ग्राम नासनोता, तह0 मोजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है । उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी सहकाश्तकारी की आराजियात है, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काश्त करना संभव नहीं होने से कानूनन बंटवारा किया जाना आवश्यक है । अतः वाद स्वीकार कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर कब्जे अनुसार तकासमा करने का निवेदन किया । अधी0न्याया0 ने प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी/अपीलांट की तलबी किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 प्रतिवादी/अपीलांट की बिना प्रोपर तामील की कार्यवाही

किये ही एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 को पारित कर प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार एवं कब्जेनुसार तकासमा किये जाने की डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस एवं वादीगण/अपीलांटस ने यह दो अलग–अलग अपीलें प्रस्तुत की है ।

3. अपीलें प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0को तलब किया गया । अधी0न्याया0 की पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पो0 के उपस्थित होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । अपील संख्या अपील संख्या 2016/260 (2016/00260) के विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री शोकिन्दलाल गुर्जर ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करने से पूर्व संपूर्ण दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों व उच्च न्यायालयों द्वारा पारित नजीरों का बिना अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट की प्रोपर तामील नहीं हुई थी इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 10 ने आपस में दुर्भिसंधित कर निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को उसकी खातेदारी की भूमि से महरूम करने की गरज से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 निरस्त की जावे ।

4. अपील संख्या 2016/260 (2016/00260) के विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 से 4 एवं अपील संख्या 2016/2283 (2016/00283) के अपीलांटस के विद्वान अभिभाषक श्री योगेन्द्रसिंह एवं श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 ने प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित करते समय अपनी फाईन्डिग केवल दो लाईनों में दी है इसलिये निर्णय नोन–स्पीकींग होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधी0न्याया0 ने बंटवारे हेतु विहित नियम 18 से 21 के विपरीत डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा बिना किसी साक्ष्य के यह मानने में कि पक्षकारान के मध्य मौखिक बंटवारा हो रखा है और उसी अनुसार काबिज काश्त है एवं पुख्ता निर्माण कर रखा है गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह तो मान लिया कि पक्षकारान बंटवारे अनुसार काबिज काश्त है परन्तु यह कहीं उल्लेखित नहीं किया कि किस पक्षकार का कब्जा किस स्थान पर है एवं तहसीलदार व पटवारी को अपनी मनमर्जी से फैसला करने हेतु स्वतंत्र कर दिया जो विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.2016 निरस्त किया जावे एवं बंटवारा नियम 18 से 21 के अनुरूप बंटवारे की डिक्री पारित की जावे ।

5. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया । अपीलांट रामचंद्र अपील संख्या 2016/260 (2016/00260) का कथन रहा है कि अधी0न्याया0 में अपीलांट की प्रोपर तामील कराये बिना एकतरफा में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है ।

इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने आदेशिका दिनांक 6.4.2015 में यह अंकन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की तामील प्राप्त हुई । प्रोपर तामील होकर प्राप्त है । प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं । अतः प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है । प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट के प्रथम पेशी पर अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही किया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है । इसी प्रकार प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखा जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को नोटिस जारी किया गया है जिसकी पुस्त पर किसी तेजपाल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर है। यह तेजपाल कौन है तथा इसकी वल्दियत क्या है इस संबंध में तामील कुनिन्दा ने नोटिस पर कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे प्रतिवादी/ संख्या 1 को उक्त नोटिस प्रोपर तामील होना नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिल सकता जिससे वह अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुंत नहीं कर सका था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 से 6 ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रकरण में दावा एवं जवाबदावा के आधार पर कोई तनकियात कायम नहीं की वाद में तनकियात कायम किये बिना वाद को निर्णित किया है । जब प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रतिवाद/जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका था तो अधी0न्याया0 को वाद एवं प्रतिवाद/जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । यह सी0पी0सी0 के आज्ञात्मक प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है । उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया के विपरीत जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहींमाना जा सकता है ।

6. अतः दोनों अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 द्वारा वाद संख्या 17/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 2.6.20016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में वाद एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारान दिनांक 26.9.2018 को अधी0न्याया0 में उपस्थि तो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर